फर्द अहकाम

रामजीलाल बनाम राज0 सरकार

नाम न्यायालय :– अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

केस संख्या :– 24/2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/11/2021	पत्रावली पेश हुयी । रेस्पोडेन्ट नायब तहसीलदार की आरे से जवाब पेश हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गयी। संक्षेप में अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि पटवारी हल्का ने नायब तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि हाल ख.नं. 188/0.44 व 510/0.64 वाके मौजा मलपुरा तहसील कोटपूतली की भूमि मंदिर माफी की है, जिस पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने अतिक्रमण कर लिया है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर दिनांक 09/4/2021 को न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष उपस्थित हुये ओर जवाब के लिए समय चाहा किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब देही एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये उसी दिन 09/4/2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेसपोडेन्ट को बेदखल करने के आदेश पारित करने के आदेश पारित किये गये तथा मौके पर बाई गयी फसल की निलामी के आदेश दिये गये एवं अपीलान्ट तरतीबी रेस्पोडेन्ट के विरूद्व 675/– रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पारित निर्णय विधि विरूद्व है एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सैकडों वर्षो से यानि बुजुर्गान के समय से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी गल्ती से मूर्ती मंदिर के नाम भूमि चली आ रही है। इसके लिए रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो सक्षम न्यायालय में पक्षकरान् के मध्य नियमित वाद विचाराधीन रहते हुये मिसलेनियस प्रोसिडिंग कानूनन नहीं चल सकती है। पक्षकारों के हको का निर्धारण नियमित वाद में है किया जाना सम्भव है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व जाकर उपरोक्त निर्णय पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र 12/9/2018 के बिन्दु संख्या 5 में महज उन व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है कि वर्तमान समय में मंदिर की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण किया है, परन्तु अपीलान्ट एवं उनके बुजुर्गान के समय से ही सैकडों वर्षो से भूमि की काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि मंदिर बिस्वेदारी थी जो भूमि सुधार एवं जागिर पुर्नगृहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने के पश्चात् धारा 9 व 10 के तहत् मूर्ती मंदिर माफी जागीर सम्पत्ति होने के कारण उनकी जागीर समाप्त होने के कारण राजस्थान सरकार को सम्पूर्ण भूमि में मालिकाना हक प्राप्त हो गये तत्सयम बतौर काश्त कर रहे अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। इस प्रकार मूर्ती मंदिर की खुद काश्त खातेदारी की भूमि नहीं है बल्कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट व उनके बुजुर्गान की खातेदारी भूमि है जो गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज होने के कारण अपीलान्ट एवं तरतीबी रेसपोडेन्ट ने रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुये उपरोक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व है। अतः अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली प्रकरण संख्या 03/2021 व उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल निर्णय दिनांक 09/4/2021 बाबत धारा 91 एल.आर एक्ट को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें। अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया है कि ग्राम मलपुरा के ख.नं.	

188/0.44 व 510/0.64 जो मंदिर मूर्ती के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नाबालिग मूर्ती शाश्वत का रक्षक सरकार होने के कारण राज्य सरकार ने परिपत्र संयुक्त शासन सचिव राज. सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग कमांक 3(2)राज.6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12/9/2018 की पालना अनुसार निर्णय किया है तो सही है। अपीलान्ट/प्रार्थी को प्रकरण में विधिक नोटिस जारी कर तामील कराये गये है। प्रार्थी प्रकरण में स्वयं उपस्थित आया एवं प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य हेतु लिखित अथवा मौखिक रूप से समय नहीं चाहा गया ना ही किसी प्रकार के कोई दस्तावेजात् पेश किये। इसलिए रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित किया है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा किसी न्यायालय का स्थगन पेश नहीं किया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम भूमि दर्ज है जो प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमी है। अतः अपील को खारिज फरमावें।

बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि ग्राम मलपुरा की प्रश्नगत आराजी बाबत पटवारी हल्का ने अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि पर अतिकमी बताते हुये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त भूमि मंदिर माफी की भूमि है, जिस पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट सैकडों वर्षो से यानि बुजुर्गान के समय से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि गलती से मंदिर के नाम चली आ रही है, जिसके लिए रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/गैर सायल को बिना सुने एवं जवाब देही का अवसर प्रदान किये बिना पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09/4/2021 को निर्णय पारित कर बेदखली निलामी तथा लगान के 50 गुना पैनल्टी के आदेश पारित कर दिये जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। पक्षकारान् के मध्य नियमित वाद विचाराधीन रहते हुये मिसले नियस प्रोसिडिंग कानूनन नहीं चल सकती। पक्षकारों के हकों का निर्धारण नियमित वाद में ही किया जाना सम्भव है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व जाकर निर्णय किया है। उक्त भूमि मंदिर बिस्वेदारी की थी जो भूमि सुधार एवं जागिर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने के पश्चात् धारा 9 व 10 के तहत् मूर्ती मंदिर माफी जागीर सम्पत्ति होने के कारण जागीर सम्पत्ति समाप्त होने से सम्पूर्ण भूमि का मालिकाना हक राजस्थान सरकार को प्राप्त हो गये तत्समय बतौर काश्त कर रहे है, जो स्वतः ही अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। इस प्रकार मूर्ती मंदिर की खुद काश्त खातेदारी की भूमि नहीं है बल्कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के बुजुर्गान की खातेदारी भूमि रही है, जो मंदिर के नाम गलत दर्ज हो गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुये उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय 09/4/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर एक्ट को खारिज किया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि ग्राम मलपुरा के आ.ख.नं. 188/0.44 व 510/0.64 मंदिर मूर्ती के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का ने उक्त आराजी की अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश करने पर राज्य सरकार के परिपत्र संयुक्त शासन सचिव राज. सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग कमांक 3(2)राज-6/ 2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12/9/2018 की पालना अनुसार निर्णय पारित किया है, जो सही है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ है। अपने समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेजात् पेश नहीं किये है। प्रार्थी को पूर्ण सुनवायी का अवसर दिया गया है, जो नियमानुसार निर्णय पारित हुआ है। इसलिए अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं है खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ नयायालय ने धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्व प्रश्नगत भूमि बाबत बेदखली फसल निलामी एवं पैनल्टी के आदेश दिनांक 09/4/2021 को निर्णय किया जाना पाया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में अभिकथन किया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनवायी का एवं जवाब देही प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, जबकि रेसपोडेन्ट द्वारा इसका खण्डन करते हुये बहस में अभिकथन किया है कि प्रार्थी स्वयं अपीलान्ट उपस्थित हुआ है। साक्ष्य हेतु लिखित एवं मौखिक

रूप से कोई समय नहीं चाहा है। प्रश्नगत भूमि मंदिर मूर्ती के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नाबालिंग मूर्ती शाश्वत का रक्षक सरकार होने के कारण अतिकमी को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है। वकील अपीलान्ट द्वारा घोषणात्मक वाद विचाराधीन होना बताया है, जो सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकार तय होने है। इसलिए अपीलान्ट/गैर सायल का उक्त भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। पटवारी हल्का ने धारा 91 के अन्तर्गत उक्त आराजी बाबत अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है, जो विधि अनुरूप सुनवायी का अवसर प्रदान कर प्रकरण में निर्णय पारित कर अपीलान्ट को मौके से बेदखली निलामी तथा पैनल्टी के आदेश जारी किये है। इसलिए अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावें।

चूँकि अधिनस्थ न्यायालय को पटवारी हल्का की धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 03/2021 सरकार बनाम रामजीलाल वगैरह में दिनांक 09/4/2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट/गैर सायल को मौके से बेदखल निलामी तथा पैनल्टी के आदेश जारी किये है, जो नियम विरूद्व नहीं है। प्रश्नगत भूमि मंदिर मूर्ती के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जो नाबालिंग मूर्ती शाश्वत का रक्षक सरकार होने के कारण लैण्ड होल्डर को अधिकार प्राप्त है। वकील अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद विचाराधीन होना जाहिर किया है वैसे भी खातेदारी अधिकार सक्षम न्यायालय से तय होने है इससे पूर्व अपीलान्ट/गैर सायल का मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त करने का कोई अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलान्ट के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 09/4/2021 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।